

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-6)

पत्रांक:एफ.14(53) ग्रावि/अनु0.6/MLALAD-Ann./2017

जयपुर, दिनांक

26 DEC 2017

“विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम”- परिपत्र

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा प्रचलित दिशा-निर्देशों में प्रावधान संख्या 3.3 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

3.3 विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्य की अनुशंषा प्राप्त होने की तारीख से प्रशासनिक/ तकनीकी/ वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने एवं कार्य प्रारंभ करने के लिये निम्नानुसार समयावधि निर्धारित की जाती हैं :-

1. प्रशासनिक स्वीकृति - प्रस्ताव प्राप्त होने के 05 दिवस में ।
2. तकनीकी स्वीकृति - 12 दिन- एक जैसे समान कार्यों के लिए मोडल एस्टीमेट के आधार पर जिन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी की जानी हो।
- 18 दिन - जिन कार्यों में कार्यवार एस्टीमेट (मौके की स्थिति के अनुसार) तकनीकी स्वीकृति जारी की जानी हो ।
3. वित्तीय स्वीकृति - तकनीकी स्वीकृति जारी होने के बाद 07 अधिकतम दिवस में
4. कार्य प्रारंभ - 15 दिन- ऐसे कार्यों हेतु जिनमें किसी प्रकार की टेण्डर प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी हो ।
- जिन कार्यों में टेण्डर प्रक्रिया अपनाई जानी हो, उनमें टेण्डर प्रक्रिया में लगने वाला वास्तविक समय ।

(प्रमुख राज शर्मा)
परियोजना निदेशक एवं पदेन उप
सचिव (एसएपी-प्रथम)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर ।
4. विशिष्ट सहायक, मा.राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर ।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त/ग्रामीण विकास एवं पं. राज/जन स्वा. अभि./आयोजना/जनजाति क्षेत्रीय विकास/जल-संसाधन/वन/आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज.
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर ।
8. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राज. जयपुर ।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त ।
10. सदस्य सचिव एवं सलाहकार, राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी, जयपुर ।
11. जिला कलक्टर, समस्त (राजस्थान) ।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान) को उक्त परिपत्र की एक-एक प्रति अपने जिले के संबंधित मा.विधायकगण को उपलब्ध कराने हेतु ।
13. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को info-rdprd@nic.in पर प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें ।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु

परि. निदे. एवं पदेन
उप सचिव(एसएपी- I)